6

ग्राम विकास: संवाद, अनुभव और नीतिगत पहल - बिहार के संदर्भ में

विवेक कुमार हिन्द **विनय कुमार हिन्द**

DOI: https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.77-95
ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

भारत का समग्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों के सतत उत्थान पर निर्भर है, क्योंकि देश की लगभग दो-तिहाई आबादी अब भी गांवों में निवास करती है। स्वतंत्रता के बाद ग्राम विकास को एक विशिष्ट विकासात्मक अनुशासन के रूप में स्थापित किया गया, किन्तु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में निरंतरता एवं समावेश की कमी ने अपेक्षित परिणामों में बाधा उत्पन्न की। बिहार जैसे राज्य, जहां ऐतिहासिक रूप से सामाजिक विषमता, भूमिहीनता, निम्न कृषि उत्पादकता और व्यापक गरीबी जैसी समस्याएं रही हैं, वहां ग्रामीण विकास की प्रक्रिया बहुआयामी और जटिल रही है। पंचवर्षीय योजनाएं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ-साथ 'हर घर नल का जल', 'जीविका' और 'कुशल युवा कार्यक्रम' जैसी राज्य स्तरीय पहलें, ग्रामीण आजीविका, आधारभूत संरचना और सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयत्नशील रही हैं। तथापि, इन योजनाओं की सफलता उनके क्रियान्वयन, निगरानी और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। यह अध्ययन बिहार के ग्रामीण परिदृश्य में नीति और समाज के बीच सक्रिय संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करता है, और यह निष्कर्ष निकालता है कि स्थानीय ज्ञान, सामाजिक विविधता और समुदाय की सहभागिता के बिना सतत एवं न्यायपूर्ण विकास संभव नहीं है।

मुख्य शब्द: पंचवर्षीय योजना, आजीविका, सामाजिक समावेशन, स्थानीय समुदाय, नीति कार्यान्वयन

प्रस्तावना

भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान से गहरे रूप से संबद्ध है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 65.53 प्रतिशत हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है (भारत की जनगणना, 2011), जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भारत के समग्र विकास की कोई भी परियोजना तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती, जब तक वह ग्राम्य जीवन की गुणवत्ता में ठोस और सतत सुधार नहीं करती। स्वतंत्रता के पश्चात् देश में ग्राम विकास को एक समर्पित विकासात्मक अनुशासन के रूप में संस्थापित करने का प्रयास किया गया, किंतु उसकी कार्यान्वयन रणनीतियाँ और नीतिगत ढांचे में निरंतरता और समावेश की कमी के कारण अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति में बाधाएँ आईं (सिंह, 2013)।

बिहार जैसे राज्य, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक विषमता, भूमिहीनता, निम्न कृषि उत्पादकता, अकुशल श्रमबल, तथा व्यापक गरीबी की समस्याओं से जूझता रहा है, वहाँ ग्राम विकास की प्रक्रिया विशेष रूप से जटिल और बहुआयामी रही है। राज्य का ग्रामीण परिदृश्य न केवल भौगोलिक और आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी परिवर्तनशील और असमानताओं से युक्त रहा है।

भारत सरकार द्वारा संचालित पंचवर्षीय योजनाओं, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, आधारभूत ढांचे, और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में प्रभाव डाला है (योजना आयोग, 2008)। बिहार राज्य सरकार द्वारा लागू 'हर घर नल का जल', 'जीविका', 'कुशल युवा कार्यक्रम', और 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना' जैसी योजनाओं ने ग्रामीण संरचना में परिवर्तन की कोशिश की है, लेकिन इन योजनाओं की सफलता प्रायः उनके क्रियान्वयन, निगरानी और स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर निर्भर रही है (बिहार सरकार, 2020)।

ग्राम विकास एक तकनीकी-प्रशासनिक गतिविधि मात्र नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संवादात्मक प्रक्रिया है, जिसमें योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन जमीनी वास्तविकताओं और अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। इस संदर्भ में ग्रामीण संवाद एक सशक्त औजार के रूप में उभरता है, जो नीति निर्माण को लोक-आधारित, सहभागी और अधिक उत्तरदायी बनाता है (जोधका, 2002)।

इस अध्याय का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण परिदृश्य में नीति और समाज के बीच सक्रिय अंतःक्रिया की समझ विकसित करना है। इसमें ग्राम विकास से संबंधित विभिन्न नीतिगत पहलों, उनके कार्यान्वयन से उपजे अनुभवों, और स्थानीय स्तर पर हो रहे संवादात्मक प्रयासों का विश्लेषण

प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि जब तक ग्राम विकास की योजनाओं में स्थानीय ज्ञान, सामाजिक विविधता, और समुदाय की सहभागिता को प्रमुखता नहीं दी जाती, तब तक सतत और न्यायपूर्ण विकास की कल्पना अधूरी रहेगी।

ग्राम विकास का वैचारिक परिप्रेक्ष्य

ग्राम विकास का आशय केवल आधारभूत ढाँचे के निर्माण, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और आवास जैसी भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। यह एक समग्र प्रक्रिया है, जो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, शैक्षिक जागरूकता, राजनीतिक सशक्तिकरण, तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान को सम्मिलित करती है। यह प्रक्रिया न केवल 'विकास' की पारंपरिक अवधारणाओं को पुनर्परिभाषित करती है, बल्कि राज्य और समाज के बीच संवाद की नई संभावनाएँ भी प्रस्तुत करती है।

ग्राम विकास की समकालीन अवधारणा में सहभागिता, सशक्तिकरण, सततता, और स्वराज जैसे तत्व केंद्रीय माने जाते हैं। यह दृष्टिकोण अमर्त्य सेन के "क्षमता दृष्टिकोण" के अनुरूप है, जहाँ विकास का मूल्यांकन व्यक्ति की क्षमताओं और विकल्पों के विस्तार से किया जाता है, न कि केवल आय या अवसंरचना की दृष्टि से (सेन, 1999)।

महात्मा गांधी के विचार ग्राम विकास की वैचारिक नींव प्रदान करते हैं। उनका कथन कि "भारत का भविष्य गाँवों में बसता है" (गांधी, 1938) इस अवधारणा की शक्ति और प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। गांधीजी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी, जहाँ प्रत्येक गाँव एक आत्मनिर्भर इकाई हो, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता, नैतिक नेतृत्व और स्थानीय संसाधनों के प्रयोग से जीवनयापन की स्वतंत्र व्यवस्था हो। उनके लिए ग्राम विकास केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक पुनरुत्थान का माध्यम था (पारेख, 1997)।

ग्राम विकास के आधुनिक दृष्टिकोणों में नव-विकेंद्रीकरण, स्थानीय शासन और सार्वजनिक नीति में समुदाय की भूमिका जैसे विमर्श उभरकर सामने आए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और लोकतांत्रिक सहभागिता के लिए एक नई नींव रखी (मैथ्यू, 2000)। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम विकास एक तकनीकी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक परियोजना है, जो शक्ति के वितरण, संसाधनों के उपयोग और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से सम्मिलित करती है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक नवाचार, स्थानीय ज्ञान और लैंगिक समानता जैसे मुद्दे भी ग्राम विकास के समकालीन विमर्श में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। ग्रामीण महिलाएँ, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, न केवल आजीविका के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय शासन में भी निर्णायक भूमिका निभा रही हैं (देसाई और जोशी, 2014)।

इस प्रकार, ग्राम विकास को केवल 'डिलीवरी मेकेनिज़्म' के रूप में न देखकर, एक 'जन-आधारित संवाद प्रक्रिया' के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है, जिसमें राज्य की भूमिका सहभागी संरक्षक की हो और समुदाय की भूमिका सक्रिय निर्णयकर्ता की।

बिहार में ग्राम विकास की स्थिति: एक ऐतिहासिक दृष्टि

बिहार का ग्रामीण परिदृश्य ऐतिहासिक रूप से कृषि प्रधान रहा है। यहाँ की आजीविका संरचना मुख्यतः भूमि, जल और श्रम जैसे पारंपरिक संसाधनों पर आधारित रही है। मगध और मिथिला जैसी प्राचीन सांस्कृतिक-राजनीतिक इकाइयों में कृषि, पशुपालन, और लघु कुटीर उद्योगों का गहरा योगदान रहा है (झा, 1991)। किंतु औपनिवेशिक शासनकाल में सामंती भूस्वामी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, और औपनिवेशिक कर-प्रणाली ने ग्रामीण बिहार की सामाजिक-आर्थिक संरचना को विकृत कर दिया। भूमिहीनता, जातिगत विभाजन और कर्ज़ के जाल में फंसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति तक तीव्र असमानता और शोषण का केंद्र बनी रही (अमीन, 1988)।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्राम विकास के लिए समेकित प्रयास किए गए। बिहार को भी कृषि, सिंचाई, साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से प्राथमिकता सूची में रखा गया, किंतु संसाधनों की सीमित उपलब्धता, प्रशासनिक अक्षमता और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो सके (योजना आयोग, 2002)।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के कुछ राज्यों विशेषतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के तहत कृषि उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि हुई। किंतु बिहार इस क्रांति के लाभों से वंचित रहा। हरित क्रांति की तकनीकी आवश्यकताएँ जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएँ और संस्थागत समर्थन बिहार में अनुपलब्ध थीं, जिससे राज्य में कृषि उत्पादकता स्थिर या घटती रही (फ्रैन्केल, 1971)। इसके परिणामस्वरूप राज्य में ग्रामीण बेरोजगारी, पलायन, और आजीविका संकट जैसी समस्याएँ तीव्र होती गईं।

1980 और 1990 के दशकों में ग्रामीण बिहार में गरीबी और सामंतवाद के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। भूमिहीनों, दलितों और महिला समूहों ने विकास और न्याय की मांग को लेकर संघर्ष किया। यह चरण ग्राम विकास को केवल प्रशासनिक या तकनीकी प्रक्रिया मानने के बजाय एक सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखने का संकेतक था (कुमार, 2008)।

2000 के बाद के दशकों में बिहार सरकार ने ग्रामीण संरचना में सुधार हेतु कुछ उल्लेखनीय पहलें कीं जैसे *मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर घर नल का जल योजना, जीविका* (बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना), और *कुशल युवा कार्यक्रम*। इन पहलों ने ग्राम विकास को बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक पूँजी निर्माण, और आजीविका संवर्धन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है (बिहार सरकार, 2020)।

इसके बावजूद, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, और सामाजिक समावेशन की दिशा में ठोस प्रगति की आवश्यकता बनी हुई है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में निवेश, तकनीकी नवाचार और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में योजनागत कमी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है।

इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है कि बिहार में ग्राम विकास की प्रक्रिया कभी भी रैखिक नहीं रही। यह विकास बहुस्तरीय, असमान और सामाजिक शक्तियों के अंतर्संबंधों से प्रभावित रहा है। अतः बिहार के ग्राम विकास को समझने के लिए केवल सरकारी नीतियों का ही नहीं, बल्कि स्थानीय सामाजिक संरचनाओं, आंदोलनों और ग्रामीण समुदायों की भागीदारी का विश्लेषण भी आवश्यक है।

प्रमुख ऐतिहासिक प्रयास: कार्यक्रम, संरचनाएं और उनकी प्रभावशीलता

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल आर्थिक उत्थान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, संसाधनों तक पहुँच और स्थानीय स्वशासन की स्थापना भी था। बिहार जैसे राज्य, जहाँ ग्रामीण निर्धनता, सामाजिक असमानता और प्रशासनिक अक्षमता एक साथ मौजूद रही है, वहाँ इन कार्यक्रमों का प्रभाव मिश्रित रहा है। इस खंड में प्रमुख योजनाओं और संस्थागत पहलों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम: एक सीमित हस्तक्षेप 1978–79 में प्रारंभ किया गया समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को आयवर्धक परिसंपत्तियों की आपूर्ति के उद्देश्य से लागू किया गया था। योजना के अंतर्गत स्वरोज़गार के लिए ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई (योजना आयोग, 1985)।

बिहार में इस योजना के कार्यान्वयन में अनेक संरचनात्मक समस्याएँ देखी गईं जैसे लक्ष्य समूहों की गलत पहचान, राजनीतिक दलालों का हस्तक्षेप, और तकनीकी मार्गदर्शन की कमी। सामाजिक रूप से वंचित समुदायों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और महिलाओं, को योजना से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। योजना की 'टॉप-डाउन' संरचना ने समुदाय की सहभागिता को सीमित कर दिया, जिससे इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता बाधित हुई (राधाकृष्ण और रे, 2005)।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): आर्थिक सुरक्षा की आंशिक उपलब्धि 2005 में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा और आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिए मील का पत्थर माना गया। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का मज़दूरी-आधारित कार्य प्रदान करने की गारंटी देता है।

बिहार जैसे राज्य में, जहाँ कृषि ऋतु आधारित होती है और बेरोज़गारी व्यापक है, वहाँ मनरेगा ने एक अंतरिम राहत अवश्य प्रदान की है। रिपोर्टों के अनुसार, इसके माध्यम से लाखों परिवारों को अकुशल श्रम के माध्यम से रोजगार मिला (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2020)।

हालाँकि, इस योजना के प्रभावशील क्रियान्वयन में कई बाधाएँ देखी गईं जैसे कार्य की अस्थायी प्रकृति, समय पर भुगतान में देरी, कार्यस्थलों पर निगरानी की कमी, और भ्रष्टाचार। फिर भी, यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम आय सुरक्षा और सामाजिक समावेशन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल माना जाता है (ड्रेज़ और खेरा, 2009)।

3. पंचायती राज और स्वराज अभियान: विकेंद्रीकरण की संस्थागत पहल

73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलने से ग्रामीण विकास की दिशा में विकेंद्रीकरण को कानूनी आधार प्राप्त हुआ। इस प्रणाली ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सशक्त किया (मैथ्यू, 2000)।

बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक रूप से पुनरुद्धार वर्ष 2001 में हुआ, जब पंचायत चुनावों के माध्यम से ग्राम स्तर पर चुनी हुई सरकारें स्थापित की गईं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिला, जिससे लोकतांत्रिक सहभागिता का दायरा विस्तृत हुआ।

इसके साथ ही, बिहार सरकार ने *मुख्यमंत्री स्वराज अभियान* के माध्यम से ग्राम पंचायतों को आर्थिक सशक्तिकरण और योजना निर्माण में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया। ग्राम सभाओं की भूमिका, योजना चयन और निगरानी में सक्रिय भागीदारी की कल्पना की गई थी।

हालाँकि जमीनी स्तर पर इन प्रयासों की प्रभावशीलता कई कारकों जैसे राजनीतिक प्रभुत्व, प्रशासनिक प्रशिक्षण की कमी, और संसाधनों की सीमितता से प्रभावित रही है। फिर भी, विकेंद्रीकरण ने ग्रामीण विकास के विमर्श को 'जन के हाथों में सत्ता' की दिशा में उन्मुख किया है (ओमन, 2005)।

इन तीनों ऐतिहासिक प्रयासों समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा और पंचायती राज ने बिहार में ग्राम विकास की बहुआयामी आवश्यकताओं को संबोधित करने का प्रयास किया है। यद्यपि इन योजनाओं की क्रियान्वयन प्रक्रिया में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ रहीं, फिर भी इनसे प्राप्त अनुभवों ने विकास नीतियों के पुनर्निर्धारण, लक्षित हस्तक्षेपों और सामाजिक न्याय के दायरे को विस्तृत करने में योगदान दिया है।

ग्रामीण संवाद और भागीदारी की भूमिका: बिहार में लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की प्रक्रियाएँ

ग्राम विकास की प्रक्रिया केवल योजनाओं और वित्तीय निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी, संवादात्मक अभिव्यक्ति और निर्णय-निर्धारण की समान हिस्सेदारी पर आधारित होती है। बिहार के ग्राम समाज में, विशेषकर पिछड़े एवं वंचित समुदायों के संदर्भ में, यह भागीदारी ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है। योजनाएँ प्रायः उपर से नीचे पद्धति में बनती रहीं, जिससे ज़मीनी ज़रूरतें और नीति के लक्ष्यों के बीच अंतराल बना रहा (झा और माथुर, 1999)।

हालांकि, 21वीं सदी में विकेन्द्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल नवाचार और सामाजिक अंकेक्षण जैसे प्रयासों ने ग्रामीण संवाद को नया आयाम देने का कार्य किया है। यह खंड बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित अनुभवों के आधार पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार सहभागी मंचों ने ग्राम विकास की धारा को प्रभावित किया है।

1. महिला स्वयं सहायता समूहों की पहल: स्वच्छता और जल संरक्षण में नेतृत्व

नालंदा और मुजफ्फरपुर जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने जल-संरक्षण और स्वच्छता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन* के अंतर्गत गठित इन समूहों ने समुदायिक जल स्रोतों की मरम्मत, वर्षा जल संचयन इकाइयों की स्थापना तथा स्वच्छता शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2020)।

विशेष रूप से नालंदा के बिंद प्रखंड में महिलाओं द्वारा संचालित 'जल-नारी' अभियान ने ग्रामीण घरों में पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पंचायत को जागरूक किया। इस प्रयास में महिलाओं ने न केवल संवाद की पहल की, बल्कि योजना चयन और निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (नाबार्ड, 2021)। यह परिघटना गांधीवादी *अंत्योदय* के सिद्धांत को यथार्थ के धरातल पर लागू करने का प्रयास मानी जा सकती है।

2. डिजिटल नवाचार: युवाओं द्वारा ग्राम सूचना केंद्रों की स्थापना

बिहार के सारण और गया जिलों में युवाओं ने सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल ग्राम सूचना केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी, किसान पोर्टल पर पंजीकरण, और ऑनलाइन आवेदन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

गया के डोभी प्रखंड में एक युवा समूह द्वारा संचालित केंद्र 'ग्राम टेक कनेक्ट' ने स्थानीय लोगों को मनरेगा कार्य सूची, राशन कार्ड अद्यतन, तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया है। यह प्रयास सूचना के विकेन्द्रीकरण और डिजिटल समावेशन की दिशा में मील का पत्थर है (मेहता और अली, 2022)।

इस प्रकार के प्रयास *अमर्त्य सेन* के "क्षमता दृष्टिकोण" की पुष्टि करते हैं, जहाँ व्यक्ति की क्षमता और स्वतंत्रता सामाजिक विकास की कुंजी मानी जाती है।

3. सामुदायिक निगरानी: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता का निर्माण

अररिया जिले में सामुदायिक निगरानी तंत्र के अंतर्गत ग्रामवासियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाया।

'राशन संवाद मंच' नामक पहल के अंतर्गत ग्रामीणों ने साप्ताहिक बैठकें आयोजित कर दुकानदारों के साथ प्रत्यक्ष संवाद प्रारंभ किया। साथ ही, ट्रांज़ैक्शन रजिस्टर और डिजिटल सूचना बोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। यह पहल सूचना का अधिकार अधिनियम के लोकशक्ति सिद्धांत के व्यावहारिक उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती है (प्रिया, 2018)।

इस निगरानी प्रणाली ने 'सामाजिक अंकेक्षण' की अवधारणा को विस्तार देते हुए स्थानीय लोकतंत्र की पुनर्संरचना की दिशा में एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है।

बिहार के ग्रामीण समाज में संवाद और भागीदारी की ये पहलें यह दर्शाती हैं कि जब समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में अधिकार और मंच दोनों मिलते हैं, तो ग्राम विकास अधिक समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ बनता है। इन प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि केवल योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका *सामाजिक स्वामित्व* स्थापित करना आवश्यक है।

महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदायों की भागीदारी ने विकास को *विकेंद्रीकृत लोकतंत्र* की दिशा में अग्रसर किया है। फिर भी, इन पहलों को व्यापक बनाने हेतु संस्थागत समर्थन, प्रशासनिक क्षमता निर्माण और सतत वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता बनी रहती है (राव और सान्याल, 2010)।

नीतिगत पहलें और उनकी चुनौतियाँ: बिहार में ग्राम विकास की वर्तमान स्थिति

ग्राम विकास की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार ने अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास, मानव संसाधन सशक्तिकरण, स्वच्छता, डिजिटल समावेशन, और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना रहा है। इन योजनाओं में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को भी समाहित करता है। तथापि, इन पहलों के कार्यान्वयन में अनेक संरचनात्मक, प्रशासनिक और सामाजिक बाधाएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं।

प्रमुख नीतिगत पहलें: उद्देश्य और प्रभाव

1. हर घर नल का जल (बिहार नल जल योजना)

मुख्यमंत्री नल-जल योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह योजना *सात निश्चय कार्यक्रम* (2016) का प्रमुख अंग रही है, जिसे स्थानीय पंचायतों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। 2022 तक इस योजना के तहत बिहार के 1.2 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ (बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, 2022)।

फिर भी, कई स्थानों पर जल गुणवत्ता, संचालन में भ्रष्टाचार, तथा रखरखाव की कमी जैसी समस्याएँ उभर कर आई हैं (नीति अनुसंधान केंद्र, 2021)।

2. हर घर शौचालय योजना (स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीण)

इस योजना के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति (ODF) का लक्ष्य रखा गया। बिहार में 2020 तक लगभग 1.65 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ (जल शक्ति मंत्रालय, 2021)।

यद्यपि आंकड़ों के अनुसार ODF स्थिति प्राप्त की गई है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर शौचालयों का उपयोग, जल की उपलब्धता, तथा सांस्कृतिक बदलाव की चुनौतियाँ बनी हुई हैं (यूनिसेफ और राइस संस्थान, 2020)।

3. कुशल युवा कार्यक्रम

बिहार सरकार का यह कार्यक्रम युवाओं को डिजिटल साक्षरता, संप्रेषण कौशल और जीवन प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करता है। *बिहार कौशल विकास मिशन* के अंतर्गत संचालित यह योजना ग्रामीण युवाओं को रोज़गार के लिए तैयार करने का प्रयास है।

अब तक 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, परंतु इन प्रशिक्षित युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी धीमी है और बाज़ार से जोड़ने की रणनीति स्पष्ट नहीं है (*बिहार कौशल विकास मिशन* वार्षिक रिपोर्ट, 2023)।

4. जीविका योजना

बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत आरंभ की गई इस योजना ने महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और उद्यमिता में सहयोग दिया है। अब तक 10 लाख से अधिक महिला समूहों का गठन किया जा चुका है (विश्व बैंक, 2022)।

जीविका मॉडल ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभाई है, परंतु ग्रामीण बाज़ारों से जुड़ाव, उत्पादों की विपणन क्षमता और स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के भीतर निर्णय-निर्माण में असमानता जैसी समस्याएं बनी हुई हैं (देसाई और जोशी, 2021)।

5. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों के माध्यम से अविकसित गाँवों को मुख्यधारा से जोड़ना है। यह योजना केंद्र की *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* की पूरक है। 2021 तक बिहार में 1.6 लाख किमी से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2022)।

हालाँकि, मानसूनी क्षरण, रखरखाव की कमी, और भ्रष्टाचार के मामलों ने इसकी स्थिरता और दीर्घकालिक प्रभावशीलता को प्रभावित किया है।

प्रमुख चुनौतियाँ

इन नीतियों के बावजूद, बिहार के ग्रामीण विकास मार्ग में अनेक बाधाएँ मौजूद हैं:

- संस्थागत क्षमता की कमी: पंचायतों और ग्राम स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और मानव संसाधनों का अभाव विकास की गति को सीमित करता है (मैथ्यू, 2019)।
- भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप: विशेष रूप से नल-जल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसी योजनाओं में स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें व्यापक हैं।
- सामाजिक विषमता और जातीय बाधाएँ: कई योजनाओं का लाभ ऊँची जातियों या प्रभुत्वशाली वर्गों तक ही सीमित रह जाता है, जिससे वंचित समुदायों की भागीदारी बाधित होती है (जोधका, 2014)।
- प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव: योजनाओं की निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था अभी पर्याप्त रूप से संस्थागत नहीं हो पाई है।

बिहार के ग्राम विकास हेतु शुरू की गई नीतियाँ निश्चित ही ग्रामीण अवसंरचना, पेयजल, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल साबित हुई हैं। परंतु, इनकी दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज और पंचायत संस्थाएँ मिलकर समावेशी, पारदर्शी और टिकाऊ विकास का ढाँचा निर्मित कर पाते हैं या नहीं।

ग्राम विकास को केवल एक *प्रोजेक्ट-बेस्ड* अप्रोच के रूप में न लेकर, इसे सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। योजनाओं को केवल लागू करना पर्याप्त नहीं, बल्कि समुदाय की स्वायत्तता, संवाद और हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना ही बिहार जैसे राज्य के लिए यथार्थ विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

प्रमुख चुनौतियाँ: बिहार में ग्राम विकास की संरचनात्मक बाधाएँ

बिहार में ग्रामीण विकास की दिशा में अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं, किन्तु उनके प्रभावी क्रियान्वयन में कई बाधाएँ सामने आती रही हैं। ये चुनौतियाँ केवल प्रशासनिक नहीं हैं, बल्कि वे गहरे राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत ढाँचे से भी जुड़ी हुई हैं। नीचे प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है:

1. योजनाओं का राजनीति-केंद्रित कार्यान्वयन

ग्रामीण विकास योजनाएँ अक्सर सत्तारूढ़ दलों के राजनीतिक हितों से प्रभावित होती रही हैं। योजनाओं का चयन, संसाधनों का वितरण और लाभार्थियों की सूची में राजनीतिक पक्षपात की प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे न केवल वंचित समुदायों की उपेक्षा होती है, बल्कि विकास की प्रक्रिया में असमानता और असंतोष भी उत्पन्न होता है (कुमार, 2015)। उदाहरण स्वरूप, पंचायत चुनावों के निकट नल-जल जैसी योजनाओं को तेज़ी से लागू करना राजनीतिक लाभ अर्जित करने की रणनीति के रूप में देखा गया है (नीति अनुसंधान केंद्र, 2021)।

2. भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग

ग्राम विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार एक स्थायी और गम्भीर समस्या बनी हुई है। अनेक रिपोर्टों में यह दर्शाया गया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत प्रतिनिधियों, ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों के बीच मिलकर फर्जी बिलिंग, कार्य में अनियमितता, और सामग्री की गुणवत्ता में समझौता किया गया (ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, 2020)। उदाहरण के लिए, *मनरेगा* के अंतर्गत कई स्थानों पर बिना कार्य किए भुगतान की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है (नरेगा वॉच, 2021)।

3. पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण और क्षमता की कमी

ग्राम विकास की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों में प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय प्रबंधन, और तकनीकी समझ आवश्यक है। बिहार के अनेक पंचायत प्रतिनिधियों को न तो योजना निर्माण का पर्याप्त ज्ञान होता है और न ही बजट का पारदर्शी प्रबंधन करने की क्षमता। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन अव्यवस्थित और अपारदर्शी हो जाता है (मैथ्यू, 2019)।

हालाँकि जीविका समूहों और पंचायतों के बीच समन्वय की पहल की गई है, लेकिन दोनों के बीच भूमिकाओं की अस्पष्टता और सूचना के अभाव के कारण समुचित सामंजस्य नहीं बन पाया है।

4. निगरानी तंत्र की कमजोरी

योजनाओं के निष्पक्ष और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रभावी निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक है। यद्यपि कई योजनाओं में सोशल ऑडिट को शामिल किया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी संस्थागत रूप से कोई मज़बूत व्यवस्था नहीं बन पाई है।

ग्राम सभाएँ, जो कि निगरानी का प्रमुख मंच हैं, अक्सर औपचारिक बनकर रह जाती हैं। न ही ग्रामीण जनता को योजनाओं के तकनीकी विवरण की जानकारी होती है, और न ही वे प्रभावी सवाल पूछने की स्थिति में होते हैं (देसाई, 2020)।

नालंदा और मधुबनी जिलों में किए गए फील्ड अध्ययन बताते हैं कि अधिकांश योजनाएँ 'डॉक्युमेंट-केंद्रित' बनी रहती हैं और उनका मूल्यांकन वास्तविक जन-सरोकारों के आधार पर नहीं किया जाता।

ग्राम विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को वास्तविक सफलता तब मिलेगी जब उपर्युक्त बाधाओं को सघन रूप से संबोधित किया जाए। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ सामाजिक संरचना बहुस्तरीय और जातिगत प्रभुत्व वाली है, वहाँ योजनाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सहभागी निगरानी प्रणाली को मज़बूत करना अनिवार्य है।

विकास के लिए केवल धन आवंटन पर्याप्त नहीं है, बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और समुदाय की स्वायत्तता को भी सुनिश्चित करना होगा।

समाजशास्त्रीय और राजनीतिक विश्लेषण: बिहार में ग्राम विकास की सामाजिक संरचना

ग्राम विकास की प्रक्रिया केवल आर्थिक या तकनीकी हस्तक्षेपों तक सीमित नहीं होती; यह समाजशास्त्रीय ढाँचे, शक्ति-संबंधों और राजनीतिक भागीदारी के गहन विमर्श से भी जुड़ी होती है। बिहार का ग्रामीण समाज ऐतिहासिक रूप से जातिगत वर्चस्व, भूमि स्वामित्व में असमानता, लैंगिक भेदभाव, और निम्न वर्गों के सीमित सामाजिक गतिशीलता जैसे कारकों से प्रभावित रहा है (जोधका, 2012)। इसलिए ग्राम विकास की नीतियों और पहलों को इन संरचनात्मक यथार्थों के आलोक में समझना आवश्यक है।

जातिगत संरचना और सामाजिक विभाजन

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जाति एक केंद्रीय सामाजिक तत्व है, जो संसाधनों के वितरण, निर्णय-प्रक्रियाओं, और विकासात्मक अवसरों को निर्धारित करता है। उच्च जातियों के प्रभुत्व वाले गाँवों में योजनाओं की प्राथमिकता और क्रियान्वयन इसी शक्ति-संतुलन पर निर्भर करती है।

आंद्रे बेतेइले (1996) के अनुसार, भारतीय ग्रामीण समाज में 'समानता की आकांक्षा' और 'संरचनात्मक विषमता' के बीच गहरा द्वंद्व होता है, जो विकास योजनाओं के परिणामों को प्रभावित

करता है। बिहार के कई जिलों जैसे गया, भोजपुर और रोहतास में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को योजनाओं की जानकारी से वंचित रखा गया या उनकी भागीदारी केवल औपचारिक बनी रही (कुमार और सिंह, 2020)।

पंचायती राज और सामाजिक प्रतिनिधित्व

1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ग्रामीण शासन प्रणाली में विकेंद्रीकरण और सहभागिता की नई संभावनाएँ उभरीं। बिहार में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण ने नेतृत्व संरचना में उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं।

महिलाओं के लिए 50% आरक्षण (2006 के बाद) एक ऐतिहासिक पहल रही है, जिससे ग्राम पंचायतों में महिला नेतृत्व उभरा है। किंतु नेतृत्व की वास्तविकता 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' से भी प्रभावित है, जहाँ महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार निर्णय लेते हैं (सिंह, 2018)।

वहीं, पिछड़े वर्गों से आने वाले निर्वाचित पंच और मुखिया प्रशासनिक प्रक्रियाओं, बजट निर्माण, और विभागीय समन्वय में अपेक्षित प्रशिक्षण और समर्थन के अभाव में सीमित प्रभाव डाल पाते हैं। इस प्रकार, सशक्तिकरण की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है।

लैंगिक असमानता और विकास

ग्राम विकास के सन्दर्भ में *लैंगिक दृष्टिकोण* विशेष महत्त्व रखता है। महिलाओं की श्रम भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, स्वच्छता सुविधाएँ, और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी अब भी असमान बनी हुई है। जीविका जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य किया है, लेकिन निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी वास्तविक आवाज़ अब भी सीमित है (देशपांडे, 2015)।

नालंदा और पूर्णिया जिलों के अध्ययन दर्शाते हैं कि जहाँ महिलाएँ संगठित हैं और सामुदायिक संवाद में भाग लेती हैं, वहाँ योजनाओं की पारदर्शिता और क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार होता है।

सामंती प्रवृत्तियाँ और सत्ता-संबंध

बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सामंती प्रवृत्तियाँ प्रभावी हैं, जहाँ ज़मींदारी संबंधों की छाया पंचायत और प्रशासनिक संरचनाओं पर भी दिखती है। जाति और भूमि स्वामित्व के बीच संबंध ग्राम विकास के संसाधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। योजनाओं के लाभार्थी चयन में

भेदभाव, और शिकायत निवारण तंत्र की निष्क्रियता ऐसे ही शक्ति-संबंधों का प्रतिबिंब हैं (शर्मा, 2019)।

ग्राम विकास की सामाजिक न्यायपूर्ण कल्पना तभी साकार हो सकती है, जब नीतियों का निर्माण केवल ऊपर से नीचे की बजाय समुदाय-आधारित, सहभागितामूलक और समावेशी तरीके से हो। बिहार में सामाजिक असमानता, जातिगत संरचना, और लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए योजनाओं में 'सामाजिक उत्तरदायित्व' और 'सशक्तिकरण की संवेदनशीलता' को केंद्र में रखना होगा।

नवीन नेतृत्व, जैसे कि महिला प्रतिनिधि और युवा पंचायत सदस्य, यदि तकनीकी प्रशिक्षण और सामाजिक समर्थन से युक्त हों, तो ग्राम विकास की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण परिवर्तन संभव हो सकता है।

सुझाव और भविष्य की दिशा

बिहार के ग्राम विकास परिदृश्य को सुदृढ़ और न्यायसंगत बनाने के लिए बहुस्तरीय और सहभागितामूलक रणनीति की आवश्यकता है। वर्तमान में चल रही नीतिगत पहलों के साथ-साथ जमीनी यथार्थ, सामाजिक संरचना, और तकनीकी नवाचार को एकीकृत करते हुए आगे की दिशा तय की जानी चाहिए। निम्नलिखित सुझाव इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं:

1. समावेशी नीति निर्माण की आवश्यकता

ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं में अभी तक 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण की प्रधानता रही है, जिससे स्थानीय आवश्यकताएँ और वास्तविकताएँ अक्सर नीति से असंगत हो जाती हैं। अतः यह आवश्यक है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में ग्रामवासियों की प्राथमिकताओं, अनुभवों और स्थानीय ज्ञान को प्रतिबिंबित किया जाए।

जैसा कि अमर्त्य सेन (सेन, 1999) ने अपने 'क्षमता दृष्टिकोण' में कहा है, विकास का सही मापदंड लोगों की जीवन क्षमताओं में विस्तार है, न कि मात्र संसाधनों का वितरण। इसी दृष्टिकोण से योजनाओं की संरचना करनी चाहिए, जो स्थानीय सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखती हो।

2. स्थानीय संस्थाओं का सशक्तिकरण

ग्राम पंचायतें, महिला स्वयं सहायता समूह, और किसान उत्पादक संगठन जैसे संस्थान यदि तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक प्रशिक्षण से सुसज्जित किए जाएँ, तो वे विकास योजनाओं के सशक्त वाहक बन सकते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवल दस्तावेजी प्रबंधन या योजना निर्माण ही नहीं, बल्कि सामाजिक संवाद, नेतृत्व विकास, और डिजिटल साक्षरता पर भी बल देना चाहिए (विश्व बैंक, 2018)।

वित्तीय सशक्तिकरण हेतु *सामुदायिक निवेश निधि* और माइक्रो क्रेडिट सुविधाओं का विस्तार स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ के लिए किया जा सकता है, जिससे वे आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित हों।

3. जन संवाद का संस्थानीकरण

ग्राम सभा का उद्देश्य केवल योजनाओं की स्वीकृति नहीं बल्कि सार्वजनिक संवाद और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। किंतु व्यावहारिक रूप से कई गाँवों में ये सभाएँ औपचारिक और निष्क्रिय रह जाती हैं।

इन संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए—

- ग्राम सभा की नियमित बैठक सुनिश्चित करना
- बैठक का व्यापक प्रचार-प्रसार
- भागीदारी की न्यूनतम सीमा निर्धारित करना
- सामाजिक अंकेक्षण की अनिवार्यता

जैसे उपायों की आवश्यकता है। इससे नागरिक सहभागिता बढ़ेगी और प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होगा (झा एवं अन्य, 2017)।

4. प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग

डिजिटल क्रांति के युग में सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्राम विकास को दक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी बना सकता है। बिहार के अनेक जिलों में ई-गवर्नेंस, मोबाइल आधारित सूचना प्रणाली, और GPS आधारित निगरानी प्रणालियाँ प्रारंभ की गई हैं, किंतु इनकी पहुँच और प्रभाव सीमित रहा है।

ई-ग्राम स्वराज, डिजिफार्म, किसान कॉल सेंटर, और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी पहलों को सशक्त बनाकर ग्रामीण विकास के सभी आयामों में तकनीक को एकीकृत किया जा सकता है (एमईआईटीवाई, 2021)।

इसमें स्थानीय भाषाओं में मोबाइल एप, डिजिटल सेवा केंद्रों की स्थापना, और डिजिटल साक्षरता अभियान विशेष रूप से प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।

बिहार में ग्राम विकास की प्रक्रिया सामाजिक विषमताओं, संस्थागत कमजोरियों और नीतिगत असंगतियों से जूझती रही है। अब आवश्यकता है कि ग्राम विकास को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया न मानकर, एक *सामाजिक परिवर्तन परियोजना* के रूप में देखा जाए।

यह तभी संभव होगा जब विकास नीति—

- स्थानीय सहभागिता आधारित हो
- संस्थानों को सशक्त करे
- संवाद को लोकतांत्रिक बनाए, और
- नवप्रवर्तनशील तकनीक से जुड़ी हो।

इस समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से ही बिहार के ग्रामीण समाज में समता, सशक्तिकरण और सतत विकास की संभावना को साकार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

बिहार में ग्राम विकास एक जटिल सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रिया रही है, जिसमें नीतिगत प्रयोग, प्रशासनिक हस्तक्षेप एवं जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह प्रक्रिया केवल योजनाओं या बजट आवंटन से नहीं, बल्कि ग्रामवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन से मापी जाती है। मनरेगा, जीविका, हर घर नल का जल और पंचायती राज सशक्तिकरण जैसी योजनाओं ने विकास के अनेक आयाम खोले हैं, पर उनकी सफलता तभी संभव है जब समुदाय स्वयं उन्हें अपनी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप अपनाए। महात्मा गांधी का "ग्राम स्वराज" का विचार आज भी इस दिशा का मार्गदर्शक है। स्थायित्व, सामाजिक समावेशन और संवादात्मक लोकतंत्र ग्राम विकास की प्रमुख धुरी हैं। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ जातीय असमानता एवं लैंगिक विभाजन मौजूद हैं, विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ना आवश्यक है। नीतिगत स्थिरता, स्थानीय सशक्तिकरण तथा सहभागी दृष्टिकोण से ही ग्राम विकास एक सतत सामाजिक परियोजना बन सकता है।

संदर्भ

- अमीन, एस. (1988). *घटना, रूपक, स्मृति: चौरी चौरा, 1922–1992.* बर्कले: कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस।
- बेतेइल, ए. (1996). *जाति, वर्ग और सत्ता: तंजावुर गाँव में स्तरीकरण के बदलते पैटर्न.* नई दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।

- बिहार लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग. (2022). *वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22.* पटना: बिहार सरकार।
- बिहार कौशल विकास मिशन.(2023). *वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन.* पटना: बिहार सरकार।
- नीति अनुसंधान केंद्र.(2021). *बिहार की नल-जल योजना का मूल्यांकन.* नई दिल्ली: नीति अनुसंधान केंद्र।
- नीति अनुसंधान केंद्र. (2021). *बिहार की ग्रामीण योजनाओं में शासन और जवाबदेही.* नई दिल्ली: नीति अनुसंधान केंद्र।
- भारत की जनगणना. (2011). *प्राथमिक जनगणना सारांश.* नई दिल्ली: भारत के महानिबंधक।
- देसाई, आर. (2020). सामाजिक लेखा परीक्षण और ग्रामीण बिहार में नागरिक भागीदारी, *भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका,* 66(3), 285–302।
- देसाई, आर. और जोशी, एस. (2014). *सामूहिक कार्रवाई और महिला सशक्तिकरण: भारत में स्वयं सहायता समूह.* वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।
- देसाई, आर. और जोशी, एस. (2021). बिहार में आजीविका और सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक समीक्षा, *भारतीय विकास अध्ययन पत्रिका,* 45(3), 34–52।
- देशपांडे, ए. (2015). बिहार में महिला सशक्तिकरण और जमीनी विकास। *जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़,* 11(1), 34–51।
- द्रेज़े, जे. एवं खेड़ा, आर. (2009). *रोजगार गारंटी की लड़ाई.* नई दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, ज्यां द्रेज
- द्रेज़े, जे. और खेड़ा, आर. (2017). भारत में हाल की सामाजिक सुरक्षा पहलें, *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक,* 52(4), 45–55, ज्यां द्रेज
- फ्रेंकल, एफ. आर. (1971). *भारत की हरित क्रांति: आर्थिक लाभ और राजनीतिक लागत.* प्रिंसटन: प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस।

- गांधी, एम. के. (1938). *हिन्द स्वराज और अन्य लेखन.* अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन गृह।
- बिहार सरकार (2020). *ग्रामीण विकास विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन.* पटना: सरकारी प्रेस।
- बिहार सरकार (2022). *ग्रामीण विकास पर वार्षिक प्रतिवेदन.* पटना: ग्रामीण विकास विभाग।
- झा, डी. (1991). बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था: अतीत और वर्तमान, *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक,* 26(13), A19–A25।
- झा, एस. और माथुर, के. (1999). विकेंद्रीकरण और स्थानीय राजनीति, *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक,* 34(51), 3575–3580।
- झा, एस. माथुर, एस., और मिश्रा, एम. (2017). बिहार में जमीनी शासन और सहभागितापूर्ण योजना। *भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका,* 63(4), 456–472।
- जोढ़का, एस. एस. (2002). राष्ट्र और गाँव: गांधी, नेहरू और अंबेडकर में ग्रामीण भारत की छवियाँ, *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक,* 37(32), 3343–3353।
- जोढ़का, एस. एस. (2012). *जाति: ऑक्सफ़ोर्ड इंडिया संक्षिप्त परिचय.* नई दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।
- कुमार, ए. (2008). *बिहार में सामाजिक आंदोलन: जाति, वर्ग और लामबंदी.* नई दिल्ली: सेज।
- कुमार, वी., एवं सिंह, एम. (2020). बिहार पंचायतों में विकेंद्रीकरण और जाति राजनीति, *ग्रामीण अध्ययन पत्रिका,* 34(2), 98–112।
- मैथ्यू, जी. (2019). भारत में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, *ग्रामीण शासन पत्रिका,* 24(1), 34–49।
- मेहता, ए. और अली, एस. (2022). ग्रामीण भारत में डिजिटल समावेशन: ज़मीनी स्तर से उभरते अभ्यास। *विकास नीति एवं व्यवहार पत्रिका,* 7(1), 55–72।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. (2021). *डिजिटल इंडिया वार्षिक प्रतिवेदन.* नई दिल्ली: भारत सरकार।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (2020). *मनरेगा वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20.* नई दिल्ली: भारत सरकार।

- नाबार्ड (2021). *स्वयं सहायता समूह–बैंक लिंक कार्यक्रम: बिहार की सफल कहानियाँ.* मुंबई: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

- उम्मन, एम. ए. (2005). भारत में ग्रामीण निकायों को संसाधनों का प्रत्यावर्तन: प्रवृत्तियाँ और चिंताएँ। *भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका,* 51(3), 370–389।

- पारेख, बी. (1997). *गांधी: एक बहुत संक्षिप्त परिचय.* नई दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।

- योजना आयोग (2008). *ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012): खंड III – कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, सेवाएँ और भौतिक अवसंरचना.* नई दिल्ली: भारत सरकार।

- पीआरआईए (2018). *बिहार में पीडीएस की सामुदायिक निगरानी को सुदृढ़ करना: अररिया का एक अध्ययन.* नई दिल्ली: भागीदारी अनुसंधान सोसाइटी।

- सेन, ए. (1999). *विकास के रूप में स्वतंत्रता.* नई दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।

- सिंह, के. (2013). *ग्रामीण विकास: सिद्धांत, नीतियाँ और प्रबंधन.* नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।

- सिंह, आर. (2018). बिहार पंचायतों में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण: हकीकत और बयानबाज़ी। *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक,* 53(22), 47–55।

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (2020). *राज्य-स्तरीय भ्रष्टाचार सूचकांक प्रतिवेदन.* नई दिल्ली: टीआईआई प्रकाशन।

- यूनिसेफ एवं राइस इंस्टीट्यूट (2020). *बिहार में ओडीएफ स्थिति और व्यवहार परिवर्तन: एक मूल्यांकन अध्ययन.* नई दिल्ली।

- विश्व बैंक (2018). *भारत में समावेशी विकास के लिए स्थानीय संस्थानों को सुदृढ़ बनाना.* वाशिंगटन डी.सी.; विश्व बैंक।

- विश्व बैंक (2022). *जीविका: बिहार में महिलाओं की आजीविका को सुदृढ़ बनाना.* वाशिंगटन डी.सी. ;विश्व बैंक प्रकाशन।